



☎: 0744-2490873

क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

प्लॉट-2(ए), रोड़ नं. 6, इन्द्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र, कोटा-324004

क्रमांक: राप्रनिम/क्षेका को/Gen-325/2023-24/1419-1422

दिनांक: 21/8/2023

कम्प्यूटर मय प्रशिक्षित कार्मिक एवं चतुर्थ श्रेणी कार्मिक (अकुशल) उपलब्ध कराने हेतु बोली सूचना

क्षेत्रीय कार्यालय राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, कोटा के लिए तीन कम्प्यूटर मय प्रशिक्षित कार्मिक अनुमानित वार्षिक लागत रुपये 3.12 लाख एवं 3-चतुर्थ श्रेणी कार्मिक (अकुशल) की सेवाएँ अनुमानित वार्षिक लागत रुपये 2.43 लाख उपलब्ध करवाने हेतु पंजीकृत मान्यता प्राप्त सेवा प्रदाताओं से दिनांक 04/09/2023 तक (सायं 6:00 बजे तक) बोली आमंत्रित की जाती है।

बोली का विस्तृत विवरण विभागीय वेबसाईट www.rpcb.rajasthan.gov.in एवं sppp.rajasthan.gov.in पोर्टल पर देखी/डाउनलोड की जा सकती है।

क्षेत्रीय अधिकारी

राप्रनिम, कोटा

NIB Code –

UBN –



☎: 0744-2490873

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
प्लॉट-2(ए), रोड नं. 6, इन्द्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र, कोटा-324004

क्रमांक: राप्रनिम/क्षेका को/Gen-325/2023-24/1419-1422

दिनांक: 21/8/2023

बिड सूचना सं.-01/2023-24

कम्प्यूटर मय प्रशिक्षित कार्मिक एवं चतुर्थ श्रेणी कार्मिक (अकुशल) उपलब्ध कराने हेतु बोली सूचना

इस कार्यालय के अन्तर्गत वर्ष 2023-2024 के लिए अनुबन्ध के आधार पर कार्य कराने हेतु अनुभवी पंजीकृत संस्थाओं से निम्नलिखित कार्यों के लिए प्रत्येक बोली के लिए पृथक-पृथक मुहरबन्द निविदाएं/बोली निम्नानुसार आमंत्रित की जाती है:-

क्र. सं.	कार्य का नाम	कुल अनुमानित लागत	बयाना राशि	बिड प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	बिड खोलने की तिथि व समय
1	कम्प्यूटर ऑपरेटर मय मशीन-3	312000	रु.6240	04/09/2023 समय सायं : 6:00 बजे	05/09/2023 समय पूर्वाह्न: 11:00 बजे
2.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	243000	रु. 4860	04/09/2023 समय सायं : 6:00 बजे	05/09/2023 समय पूर्वाह्न: 11:00 बजे

उपरोक्त निविदायें दिनांक 22/08/2023 से दिनांक 04/09/2023 तक किसी भी कार्य दिवस को प्रातः 09:30 बजे से सायं 6:00 बजे तक इस कार्यालय से नगद भुगतान करके भी प्राप्त की जा सकती है तथा दिनांक 04/09/2023 को सायं 6:00 बजे तक इस कार्यालय में जमा करा सकते हैं। डबल कवर सिस्टम के अन्तर्गत प्राप्त निविदाओं में तकनीकी बोली प्रपत्र को दिनांक 05/09/2023 को दोपहर 11:00 बजे से उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोला जावेगा। तकनीकी बोली में सफल निविदादाताओं को के वित्तीय बोली प्रपत्र दिनांक 11/09/2023 को खोला जावेगा। निविदा प्रपत्र विभागीय वेबसाइट पर <http://www.rpcb.rajasthan.gov.in> & sppp.rajasthan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है। शर्तें एवं अन्य विवरण विभागीय वेबसाइट पर उपापन पोर्टल पर देखा जा सकता है। निविदा शुल्क की राशि का डिमांड ड्राफ्ट निविदा के साथ संलग्न करना होगा जो कि क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, कोटा के नाम देय होगा। प्रत्येक कार्यालय के लिए अलग-अलग निविदा शुल्क एवं अलग-अलग अमानत राशि ड्राफ्ट प्रस्तुत किया जावेगा। अमानत राशि के लिए डिमांड ड्राफ्ट ही स्वीकार किये जायेंगे जो कि क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, कोटा के नाम से प्रस्तुत करना होगा।

भवदीय
(अमित सोनी)
क्षेत्रीय अधिकारी,
राप्रनिम, कोटा

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. श्रीमान् सम्पादक महोदय राजस्थान पत्रिका कोटा को भेजकर क्षेत्रीय समाचार पत्र में न्यूनतम साईज में डी.आई. पी. आर. द्वारा निर्धारित दरो एवं शर्तों में प्रकाशित करवाने का श्रम करें।
2. सदस्य सचिव महोदय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर।
3. श्रीमान् ए.सी.पी. (आई.टी.सेल) महोदय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, जयपुर को भेजकर लेख है कि टेण्डर बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड करवाने का श्रम करें।
4. नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(अमित सोनी)

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, कोटा
चतुर्थ श्रेणी कार्मिक (अकुशल) हेतु बोली आमन्त्रण सूचना पत्र

1.	उपापन संस्थान (Procuring Entity) का नाम एवं पता	क्षेत्रीय कार्यालय राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, कोटा, प्लॉट-2(ए), रोड़ नं. 6, इन्द्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र, कोटा-324004
2.	उपलब्ध कराई जाने वाली सेवा का नाम (subject matter of Procurement)	तीन चतुर्थ श्रेणी (अकुशल) कार्मिक की सेवाएँ उपलब्ध करवाने हेतु खुली निविदा
3.	अवधि	निविदा की अवधि कार्यादेश जारी करने की तिथि से एक वर्ष की होगी। संतोषजनक कार्य संपादन की स्थिति में पारस्परिक सहमति से Rajasthan Transparency in public procurement Act-2012 and Rules 2013 के प्रावधानों के तहत आगे बढ़ाई जा सकेगी। वर्तमान में इस कार्यालय को 31.03.2024 तक कार्मिक रखे जाने की स्वीकृति प्राप्त है। अतः वर्तमान में कार्यादेश दिनांक 31.03.2024 तक की अवधि के लिए जारी किया जायेगा। उच्च कार्यालय से स्वीकृति प्राप्त होने पर इसे प्रथम कार्यादेश जारी किए जाने की अवधि से एक साल तक की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकेगा।
4.	निविदा प्रक्रिया	द्वि-भाग बोली (Single stage two part)
5.	बिड मूल्यांकन का तरीका	सफल बोली दाता द्वारा प्रस्तुत न्यूनतम बोली
6.	उपापन की अनुमानित राशि	रुपये 243000 / -
7.	बोली प्रति राशि	रुपये 4860. / -
8.	बिडिंग डॉक्यूमेन्ट फीस	रुपये 500 / -
9.	बिडिंग डॉक्यूमेन्ट विक्रय की तिथि	22/08/2023 से 04/09/2023
10.	बोली प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि	04/09/2023 Upto 06:00 PM
11.	तकनीकी बोली खोलने की तिथि	05/09/2023 at 11:00 AM
12.	वित्तीय बोली खोलने की तिथि	तकनीकी बोली में सफल रहने वाले बोलीदाताओं को बाद में सूचित किया जायेगा

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण
नियंत्रण मण्डल, कोटा

बिडिंग डॉक्यूमेन्ट फीस तथा प्रतिभूति राशि बैंकर चैक/डी.डी. के माध्यम से क्षेत्रीय अधिकारी राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, कोटा के नाम एवं कोटा में देय होना चाहिए।

1. बोली दाता फर्म/कम्पनी का नाम व पता	
2. व्यक्ति का नाम जो बोली पर हस्ताक्षर हेतु अधिकृत है।	
3. मोबाईल नम्बर:	
4. ई-मेल एड्रेस:	

नोट: संवेदक को अपना ई-मेल एवं मोबाईल नंबर सहित अंकित किया जाना आवश्यक है, जिससे संवेदक को ई-मेल/मोबाईल नंबर पर सूचित किया जा सकें। इसके अभाव में संवेदक को सूचना न मिलने का दायित्व इस कार्यालय का नहीं होगा।

क्षेत्रीय कार्यालय,
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, कोटा
बोली हेतु आवश्यक निर्देश
(चतुर्थ श्रेणी कार्मिक हेतु)

1. बोली दाता (बोली हेतु अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता) अपनी न्यूनतम दरे इस कार्यालय में (तकनीकी एवं वित्तीय दोनों) प्रस्तुत करेंगे। बोली शुल्क, प्रतिभूति राशि प्रत्येक बोली की अलग-अलग बोली के साथ अलग से लिफाफे में कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे।
2. निर्धारित दिनांक एवं समय पर बिड प्रपत्र बोली शुल्क, प्रतिभूति राशि का डिमान्ट ड्राफ्ट प्रस्तुत नहीं होने पर बोली पर विचार नहीं किया जावेगा।
3. सर्वप्रथम तकनीकी बोली खोली जावेगी। तकनीकी बोली में सफल पाए गए बोलीदाताओं की वित्तीय बोली खोली जावेगी। असफल/अनुपयुक्त बोलीदाताओं की वित्तीय बोली नहीं खोली जावेगी। अतः बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे तकनीकी बोली, बोली की शर्तों के अनुसार ही भरें।
4. किसी भी बोली को बिना कोई कारण बताए निरस्त करने का अधिकार उपापन संस्था/विभाग को सुरक्षित है।
5. बोली की वैधता 90 दिन के लिए होगी।
6. संवेदक द्वारा कार्य को सब-लेट नहीं किया जाएगा।
7. अनुबंध निष्पादन के अतिरिक्त बोली डॉक्यूमेंट/प्रक्रिया से संबंधित किसी भी दायित्व के लिए उपापन संस्था/विभाग जिम्मेदार नहीं हैं।
8. बिडिंग डॉक्यूमेंट में किसी विवरण/अशुद्धि के लिए उपापन संस्था/विभाग जिम्मेदार नहीं हैं। बिडर की यह जिम्मेदारी है कि वह स्वयं तथ्यों की अपने स्तर पर पुष्टि कर लें। बिडिंग डॉक्यूमेंट की सूचनाएं बिडर को लोजिकल बोली प्रस्ताव तैयार करने हेतु प्रस्तुत की गई है।
9. उपरोक्त निविदा RTPPA Act 2012 एवं RTPP Rules 2013 के अधीन है। बिडिंग डॉक्यूमेंट में कोई असम्बद्धता की स्थिति में उक्त एक्ट एवं नियमों के प्रावधान लागू होंगे।
10. नियोजित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को श्रम अधिनियम के अंतर्गत अकुशल श्रमिक की निर्धारित न्यूनतम राशि भुगतान करने हेतु बोली दाता बाध्यकारी होगा।
11. संवेदक को अपना ई-मेल एवं मोबाईल नंबर सहित अंकित किया जाना आवश्यक है, जिससे संवेदक को ई-मेल/मोबाईल नंबर पर सूचित किया जा सके। इसके अभाव में संवेदक को सूचना न मिलने का दायित्व इस कार्यालय का नहीं होगा।
12. RTPP नियम 2013 के नियम 47 के अंतर्गत निविदा प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि एवं समय से पूर्व निविदा प्रपत्र के संबंध में किसी भी प्रकार की आपत्ति लिखित में क्षेत्रीय अधिकारी, कार्यालय राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, कोटा को प्रस्तुत की जा सकेगी। निर्धारित दिनांक एवं समय के उपरान्त प्राप्त आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा।

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण
नियंत्रण मण्डल, कोटा

क्षेत्रीय अधिकारी
रा.प्र.नि.म., कोटा

मेरे द्वारा उपरोक्त निर्देशों एवं शर्तों का अध्ययन कर लिया गया है और मैं अपनी सहमति व्यक्त करता हूँ।

हस्ताक्षर (निविदादाता)
नाम:-
स्थान:-
दिनांक:-
मो. नं.:-
ई-मेल:-

बोली दाता की तकनीकी योग्यता (Qualification Eligibility Criteria) (चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों हेतु)

बोली दाता द्वारा निम्नालिखित निर्धारित तकनीकी मानदंडों को पूरा किया जाना आवश्यक है। जिसके समर्थन में समस्त वांछित दस्तावेजों की प्रमाणित छायां प्रतियाँ प्रस्तुत करनी होगी। बिना दस्तावेजों के प्राप्त एवं निर्धारित मानदण्डों की पूर्ति नहीं करने पर प्राप्त बोलीयों को तकनीकी रूप से आयोग्य मानते हुए बिना किसी पत्राचार के सीधे ही निरस्त कर दिया जायेगा। तकनीकी मानदण्डों के समर्थन में दस्तावेजों की छायांप्रति पृथक लिफाफे में तकनीकी बोली शीर्षक अंकित कर प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।

क्रं. सं.	तकनीकी योग्यताएँ	विवरण	वांछित दस्तावेज
1.	बोलीदाता	बोली लगाने हेतु बोलीदाता स्वयं सक्षम होना चाहिये, संयुक्त उद्यम/संघ बोली लगाने हेतु योग्य नहीं है। बोलीदाता किसी भी विभाग से ब्लैकलिस्टेड नहीं होना चाहिए।	बोलीदाता द्वारा स्वयं के लेटर हैड पर इस आशय की, की गई स्व-घोषणा।
2.	टर्न ओवर	गत तीन वित्तीय वर्षों (2020-21, 2021-22 एवं 2022-23) में वार्षिक टर्न ओवर रु. 10.00 लाख से कम नहीं होना चाहिए। (प्रत्येक वित्तीय वर्ष में)	चार्टर्ड अकाउंटेंट का प्रमाण पत्र एवं गत तीन वर्षों की Audited balance sheet and Profit & Loss A/C की चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित छायां प्रतियाँ एवं संलग्न प्रपत्र में टर्न ओवर प्रमाण पत्र। (अनुलग्नक-3)
3.	अनुभव	बोलीदाता को किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी/स्वायत्तशासी संस्था में कार्य करने का कम से कम एक वर्ष का अनुभव होना चाहिए।	अनुभव प्रमाण पत्र (न्यूनतम तीन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की आपूर्ति का अनुभव)
4.	कर संबंधी पंजीकरण	बोलीदाता के पास स्वयं के भिन्न दस्तावेज होने चाहिए:- 1. जीएसटी पंजीकरण 2. पैन कार्ड	वांछित दस्तावेजों की छायां प्रतियाँ
5.	कानूनी अस्तित्व	बोलीदाता के पास राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्नमूलन) अधिनियम 1970 एवं राजस्थान दुकान एवं वाणिज्य संस्थान अधिनियम 1958 या इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 या इंडियन कंपनी एक्ट 1958 के अंतर्गत संस्थान का पंजीकरण प्रमाण पत्र होना चाहिए।	वांछित दस्तावेज की छायां प्रतियाँ (राजस्थान सरकार के वित्त (जी एण्ड टी) विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ.2(1)एफ. डी/एसपीएफसी/2017 दिनांक 14.11.2018 के अनुसार यदि नियमों के अंतर्गत बोली दाता पंजीकरण बाध्यता की सीमा में नहीं है तो वह तदनुसार वचन पत्र प्रस्तुत करते हुए बोली में भाग ले सकता है)
6.	अन्य पंजीकरण	ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई., विभाग द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण-पत्र होना चाहिए	वांछित दस्तावेजों की छायां प्रतियाँ

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण
नियन्त्रण मण्डल, कोट

क्षेत्रीय अधिकारी

मेरे द्वारा उपरोक्त निर्देशों एवं शर्तों का अध्ययन कर लिया गया है और मैं अपनी सहमति व्यक्त करता हूँ।

हस्ताक्षर (निविदादाता)

चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों की सेवाएं उपलब्ध करवाने हेतु वित्तीय बोली प्रपत्र

क्र. सं.	सेवा का प्रकार	श्रमिकों को देय पारिश्रमिक जो कि प्रचलित न्यूनतम मजदूरी की दर से कम नहीं होगी, मय संख्या			EPF की दर %	ESI की दर %	(सामग्री राशि/ उपकरण किराया प्रति उपकरण प्रति माह	सेवा प्रदाता की सर्विस चार्ज राशि (प्रति कर्मचारी प्रति माह)	कुल राशि (कालम 8 एवं 9 का योग)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	चतुर्थ श्रेणी कार्मिक	श्रमिक की श्रेणी	न्यूनतम मजदूरी दर	श्रमिकों की संख्या	13	3.25			
		अकुशल	6,734 प्रति माह	3	0				

- जीएसटी का भुगतान नियमानुसार पृथक से देय होगा।
- सर्विस चार्ज की राशि न्यूनतम 1 रुपए से कम नहीं होगी, जिसका उल्लेख बोली दाता द्वारा कॉलम सं. 9 में आवश्यक रूप से करना होगा। सर्विस चार्ज अंको में एवं शब्दों में अंकित करना होगा। अंकों एवं शब्दों में लिखी राशि में अन्तर, कांट-छांट या ओवर राईटिंग मान्य नहीं होगी। शून्य सर्विस चार्ज वाली बोली निरस्त योग्य होगी।
- निविदाताओं को केवल कॉलम सं. 8, 9, एवं 10 की पूर्ति करनी है। निविदादाता अपनी दरें स्पष्ट रूप से प्रति उपकरण प्रति माह एवं सर्विस चार्ज की राशि प्रति चतुर्थ श्रेणी प्रति माह के अनुसार प्रस्तुत करें एवं कॉलम सं. 10 में केवल कॉलम सं. 8 एवं 9 का योग ही भरा जाना है, प्रस्तुत दरों में न्यूनतम मजदूरी की दर एवं ईपीएफ/ईएसआई की दरों को शामिल नहीं करें। वित्तीय निविदा का निर्णय उपकरण किराया प्रति माह एवं सर्विस चार्ज प्रति माह की राशि के कुल योग का आधार पर किया जायेगा।

द्वैत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण
नियन्त्रण मण्डल, कोटा

बोलीदाता के हस्ताक्षर

फर्म का नाम व पता

.....

.....

दूरभाष एवं मोबाईल सं.

.....

ई-मेल:

कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, कोटा

चतुर्थ श्रेणी कार्मिक की सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए खुली निविदा की अन्य शर्तें:-

1. निविदा की अवधि कार्यादेश जारी करने की तिथि से एक वर्ष की होगी। संतोषजनक कार्य संपादन की स्थिति में पारस्परिक सहमति से Rajasthan Transparency in public procurement Act-2012 and Rules 2013 के प्रावधानों के तहत आगे बढ़ाई जा सकेगी। वर्तमान में इस कार्यालय को 31.03.2024 तक कार्मिक रखे जाने की स्वीकृति प्राप्त है। अतः वर्तमान में कार्यादेश दिनांक 31.03.2024 तक की अवधि के लिए जारी किया जायेगा। उच्च कार्यालय से स्वीकृति प्राप्त होने पर इसे प्रथम कार्यादेश जारी किए जाने की अवधि से एक साल तक की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकेगा।
2. बोली दो भागों में प्रस्तुत की जानी होगी। 1. तकनीकी बोली, (अनुलग्नक-प्रथम) 2. वित्तीय बोली (अनुलग्नक-द्वितीय)
3. तकनीकी रूप से सफल पाए गए बोलीदाताओं की दो वित्तीय निविदा खेली जायेगी। तकनीकी बोली अनुसंगनक द्वितीय एवं वित्तीय बोली अनुलग्नक तृतीय के अनुसार प्रस्तुत करनी होगी।
4. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की सेवाओं के लिए किसी भी प्रकार का अग्रिम भुगतान नहीं किया जायेगा।
5. पारिश्रमिक का भुगतान संबंधित प्रभारी अधिकारी द्वारा किये गये प्रमाणीकरण के आधार पर किया जावेगा। संवेदक द्वारा बिल प्रस्तुत करने पर मासिक तौर पर महीना समाप्ति के बाद संतोषजनक रूप से कार्य सम्पन्न किये जाने पर बैंक खाते के माध्यम से किया जावेगा। स्वयं के कार्मिकों को पारिश्रमिक के समय पर भुगतान की जिम्मेदारी संवेदक की होगी।
6. समस्त विधिक कार्यवाही, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो तो किसी भी पक्षकार द्वारा कोटा स्थित न्यायालयों में ही पेश की जाएगी, अन्य स्थान पर नहीं की जावेगी।
7. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के अन्तर्गत मानव संसाधन की सेवाओं के उपापनों के संबंध में राजस्थान सरकार के वित्त (जी. एण्ड टी.) विभाग के परिपत्र क्रमांक: एफ.2(1)वित्त/एसपीएफसी/2017/जयपुर दिनांक 30/04/2017, संख्या 1/2018 के समस्त बिन्दु लागू होंगे मुख्य प्रावधान इस प्रकार है:-
(i) बोलीदाता/संवेदक द्वारा विभिन्न पंजीकरण इत्यादि का विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत किया जावेगा:-

क्र. सं.	विवरण	रजि. संख्या	वर्ष	पंजीकरण दिनांक	संलग्नक क्रमांक
1.	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970				
2.	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952				
3.	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948				
4.	वस्तु एवं सेवा कर				
5.	आयकर (पैन नंबर)				
6.	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम, 1956 या इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत				

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण
नियंत्रण मण्डल, कोटा

(ii) जॉब बेसिक पर सेवाओं के उपापम के लिए निविदा में दरे निम्नानुसार प्रपत्र में प्रस्तुत की जावेंगी:-

क्र. सं.	सेवा का प्रकार	श्रमिकों को देय पारिश्रमिक जो कि प्रचलित न्यूनतम मजदूरी की दर से कम नहीं होगी, मय संख्या			EPF की दर %	ESI की दर %	सामग्री राशि/ उपकरण किराया प्रति उपकरण प्रति माह	सेवा प्रदाता की सर्विस चार्ज राशि (प्रति चतुर्थ श्रेणी कर्मी प्रति माह)	कुल राशि (कालम 8 एवं 9 का योग)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	श्रमिक की श्रेणी	न्यूनतम मजदूरी दर	श्रमिकों की संख्या	13	3.25			
		अकुशल	6,734 प्रति माह	3	—				


 दैत्रीय अधिकारी
 राजस्थान राज्य प्रदूषण
 नियन्त्रण मण्डल, कोटा

नोट:-

1. सेवा का प्रकार, योग्यता के मापदण्ड एवं कार्यक्षेत्र अनुसंलग्नक प्रथम के अनुसार होगी।
2. जी.एस.टी. का भुगतान नियमानुसार पृथक देय होगा।
3. सर्विस चार्ज की राशि न्यूनतम 1 रुपए से कम नहीं होगी, जिसका उल्लेख बोली दाता द्वारा कॉलम सं. 9 में आवश्यक रूप से करना होगा। सर्विस चार्ज अंको में एवं शब्दों में अंकित करना होगा। अंकों एवं शब्दों में लिखी राशि में अन्तर, कांट-छांट या ओवर राईटिंग मान्य नहीं होगी। शून्य सर्विस चार्ज वाली बोली निरस्त योग्य होगी।
4. बोली के साथ संलग्न शर्तों एवं कार्य विवरण के अनुसार कार्य करने हेतु सहमति देनी होगी।
5. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (नियमन अधिनियम 11, वर्ष 1948) के वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना का दायित्व संबंधित संवेदक का होगा।
6. राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियम एवं उन्मूलन) अधि. नियम, 1970, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अन्तर्गत नियमानुसार पंजीकृत संवेदक ही उक्त प्रकार की बोली में भाग लेने हेतु अर्हत होंगे। पंजीकरण प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि पूर्ण रूप से भरे हुए बोली दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यदि नियमों के अंतर्गत बोली दाता पंजीकरण बाध्यता की सीमा में नहीं है तो वह तदनुसार वचन पत्र प्रस्तुत करते हुए बोली में भाग ले सकता है।
7. यदि इस कार्यालय को अंशकालिक (Part time) मानव संसाधन की सेवाओं की 4 घण्टे से कम अवधि के लिए आवश्यकता होगी तो ऐसे अंशकालिक मानव संसाधन जिनकी सेवाएं 4 घंटे से कम अवधि के लिए ली जावेगी उन्हें उनकी सेवाओं के विरुद्ध न्यूनतम मजदूरी की गणना श्रम विभाग द्वारा समय-समय पर निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की 50 प्रतिशत राशि पर की जावेगी।

8. संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रूप से उनके बैंक खातों में ही किया जायेगा। संबंधित संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों के बैंक खाते में जमा कराई गई राशि का विवरण आगामी माह के मासिक बिल के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। श्रमिकों के बैंक खातों में जमा कराई गई राशि के विवरण से संतुष्ट होने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल का भुगतान किया जावेगा।

9. श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान का दायित्व सम्बन्धित संवेदक का होगा।

10. श्रमिकों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए संविदा अवधि के दौरान न्यूनतम मजदूरी दर में श्रम विभाग की अधिसूचना के समय-समय पर वृद्धि होने पर इस कार्यालय द्वारा संवेदक को बढ़ी हुई न्यूनतम मजदूरी की सीमा तक अन्तर राशि का भुगतान किया जा सकेगा।

11. संवेदक को राज्य/केन्द्र सरकार की प्रचलित दरों के अनुसार अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. जमा कराना होगा, जिसमें नियोजित श्रमिकों की मजदूरी राशि से कटौती और संवेदक का अंशदान शामिल होगा। संवेदक द्वारा अपने आगामी माह के बिल के साथ गत माह के पेटे श्रमिकों के ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. के अंशदान की राशि नियमानुसार जमा कराये जाने की पुष्टि से सम्बन्धित चालानों की प्रति प्रस्तुत किये जाने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल/बिलों का भुगतान किया जायेगा।

अथ

क्षेत्रीय अधिकारी,
राजस्थान राज्य प्रशासनिक
नियन्त्रण मण्डल, कोटा

12. संवेदक द्वारा प्रत्येक कार्य स्थल पर Display Boards लगाये जायेंगे, जिन पर संवेदक का नाम, संविदा, अवधि, कार्य की प्रगति, श्रमिकों हेतु Helpline Number एवं संवेदक द्वारा न्यूनतम भुगतान नहीं करने की शिकायत करने संबंधी प्रावधान का विवरण स्पष्ट रूप से अंकित किया जाएगा।

13. संवेदक द्वारा श्रमिकों को देय राशि पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी। सभी प्रकार के करों को जमा करवाने की जिम्मेदारी संवेदक की ही होगी। संवेदक द्वारा गत माह में जमा करवाये गये वस्तु एवं सेवा कर (GST) के चालान की प्रति आगामी माह के बिल के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी। वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि जमा कराने के प्रमाण स्वरूप चालान की प्रति प्रस्तुत नहीं किये जाने पर आगामी माह के बिल में वस्तु एवं सेवा कर (GST) का भुगतान नहीं किया जायेगा। उक्त स्थिति में वस्तु एवं सेवा कर (GST) के संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के दायित्वों का निर्वहन का उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।

14. श्रम विधि के अंतर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देशों की पालना करने का दायित्व संवेदक का होगा। श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं, दिशा-निर्देशों आदि की पालना नहीं करने की स्थिति में उसके परिणामों/दायित्व के लिए संवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।

15. यदि संवेदक एवं कार्य पर लगाये गये श्रमिकों के मध्य कोई विवाद होता है तो उसकी प्रबन्धकीय जिम्मेदारी संवेदक की होगी। इसके लिए इस कार्यालय का सक्षम प्राधिकारी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 एवं राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 का उचित प्रकार से तथा निष्ठापूर्वक पालन करने के लिए उत्तरदायी होगा।

16. नियोजित श्रमिकों को 240 दिवस पूर्ण कर लिए जाने पर औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1974 में विहित प्रावधानों के अनुसार श्रम नियोजित श्रमिकों को हटाने, कार्यमूक्त करने, नोटिस वेतन, छंटनी, मुआवजा आदि देने का समस्त उत्तरदायित्व अनुबंधित फर्म का होगा।

17. कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कार्य के संबंध/संदर्भ में किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने/ई.एस.आई. करवाने/सामुहिक दुर्घटना बीमा कराने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व संवेदक का होगा, इसके लिए इस कार्यालय की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

18. यदि संवेदक द्वारा नियमानुसार निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किये जाने की शिकायत इस कार्यालय को प्राप्त होती है तो यह कार्यालय इस संबंध में श्रम विभाग, जयपुर को अनिवार्य रूप से सूचित करेगा और नियमानुसार आवश्यक होने की स्थिति में संवेदक को Debar कराने की कार्यवाही की जा सकती है।

19. निविदा शर्तों के संबंध में यदि कोई स्पष्टीकरण, व्याख्या, शक एवं संदेह अथवा कोई मतभेद पक्षकारों के मध्य उत्पन्न हो जावे तो उसमें इस कार्यालय का निर्णय अंतिम समझा जावेगा।

20. अनुबंधित कन्सलटेन्ट्स को निविदा में अनुमानित राशि के बराबर भाग के अनुरूप नियमानुसार 5 प्रतिशत कार्य सम्पादन प्रतिभूति जमा कराया जाना आवश्यक है।

21. सफल निविदादाता द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाली, सेवाओं से संबंधित कर्मियों का शैक्षणिक/अनुभव बाबत दस्तावेज/पूर्ण विवरण उपलब्ध कराना होगा।

22. सफल निविदादाता को कार्यादेश देने पर दी गई समय सीमा में आवश्यकतानुसार सेवाएं उपलब्ध करानी होंगी। विलम्बित अवधि के लिए प्रतिदिन प्रतिकर्मी 500/-रु. की दर से पैनल्टी राशि वसूली योग्य होगी।

23. सेवाओं की मात्रा आवश्यकतानुसार बढ़ाई/कम की जा सकती है। वर्ष भर के दौरान कार्य की न्यूनतम राशि/मात्रा की कोई गारन्टी नहीं होगी।

24. खुली बोली आमंत्रण प्रपत्र में प्राप्त बोलियों के मूल्यांकन का आधार न्यूनतम बोलीदाता के आधार पर किया जावेगा।

25. निविदादाता को उपरोक्त "ए" में वांछित योग्यताओं संबंधी आवश्यक प्रमाण-पत्र आवश्यक रूप से संलग्न करने होंगे।

26. निविदादाता द्वारा price schedule में कन्सलटेन्सी फीस प्रतिशत के रूप में अंको एवं शब्दों में अंकित करना होगा। price schedule में कांट-छांट/ओवरराइटिंग होने पर निविदा निरस्त मानी जाएगी।

27. न्यूनतम बोली दाता का निर्धारण Total Amount के कॉलम में प्राप्त दर से ही किया जायेगा।

28. Total Amount के कॉलम में प्राप्त दर समान होने पर अधिक टर्न ओवर वाले संवेदक को वरीयता प्रदान की जावेगी। टर्न ओवर समान होने पर समानान्तर रेट कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है।

29. Minimum Wages, EPF & ESI की दर राज्य सरकार के आदेशानुसार परिवर्तनशील होगी।

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण
नियन्त्रण मण्डल, कोटा

क्षेत्रीय अधिकारी

मेरे द्वारा उपरोक्त निर्देशों एवं शर्तों का अध्ययन कर लिया गया है और मैं अपनी सहमति व्यक्त करता हूँ।

हस्ताक्षर (निविदादाता)

वार्षिक टर्नओवर प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि फर्म मैसर्स

का विगत चार वित्तीय वर्षों का टर्न ओवर निम्नानुसार है। प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रमाण पत्र सत्य व सही है। फर्म की विगत चार वर्ष की Audited Balance Sheet/Profit and Loss A/c संलग्न है।

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	टर्न ओवर (राशि लाखों में)
1	2020-21	
2	2021-22	
3	2022-23	
कुल टर्न ओवर		
औसत टर्न ओवर		

दिनांक:

अंकेक्षक/सनदी लेखाकार का
नाम मय हस्ताक्षर एवं पंजीकरण संख्या

घोषणा-पत्र

Bid की समस्त जानकारी/शर्तों को मैंने/हमने अच्छी तरह अध्ययन कर लिया है। मैं/हम यह भी प्रमाणित करते हैं कि उक्त कार्य हेतु रजिस्टर्ड है, वास्तव में Bid में चाहा गया व्यवसाय किया जाता है तथा वांछित मशीन/उपकरण/प्रशिक्षित कार्मिक उपलब्ध है तथा "अधिनियम" की धारा 46 एवं "नियम" 39 के अनुसार राज्य सरकार या इस उपापन संस्था से अपात्रता के लिए विवर्जित (Debarred) नहीं है।

यदि यह घोषणा असत्य पायी जाए तो किसी भी अन्य कार्यवाही, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी बोली प्रतिभूति एवं कार्य निष्पादन प्रतिभूति को पूर्ण रूप से समपहृत कर लिया जा सकेगा तथा खुली बोली को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द किया जा सकेगा।

बोलीदाता के हस्ताक्षर
नाम मय सील